

कार्यालय वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, सरयू वृत्त अयोध्या।
पत्रांक 793 / 14-10 दिनांक, अयोध्या, सितम्बर 12 / 2022।
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय:-

Forest proposal under Forest (conservation) Act, 1980 for the diversion of forest land for non-forest purpose for the project "Development of 4/6 lane Ayodhya Bypass Total length of 67.572 kms (package 1 Northent Ayodhya Bypass starting at km 112+540, ending at km139+928 of NH-28 and Package 2 Southern Ayodhya Bypass starting at km 112+540, ending at km 153+281 of NH-28) UNDER nhdp Phase-VII in the State of utter Pradesh से प्रभावित 1.586 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी कार्य की अनुमति हेतु ऑनलाइन प्रस्ताव के सम्बन्ध में।
प्रस्ताव संख्या-एफ०पी०/यू०पी०/रोड/151936/2022।

सन्दर्भ:-
महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग अयोध्या का पत्रांक 937 / 14-4 दिनांक 07-09-2022।

प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग अयोध्या के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा उपरोक्त विषयक प्रस्ताव चार प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। उक्त प्राप्त प्रस्ताव तीन प्रतियों में (नय पेनड्राइव के साथ) संलग्नकर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
(ड० अनिरुद्ध पाण्डेय)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सामाजिक वानिकी, सरयू वृत्त, अयोध्या।

पू०सं० 793 / उक्त दिनांक।

- 1- प्रतिलिपि-प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग अयोध्या को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे कृपया सुनिश्चित करें, कि जब तक उक्त गैर वानिकी कार्य कराये जाने की विधिवत स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त न हो जाय तब तक किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य कदापि न प्रारम्भ होने दें।
- 2- प्रतिलिपि- जी०एम०(टेक०)/प्रोजेक्ट डॉरेक्टर, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, कमला भवन, हनुमन्त पुरम निकट त्रिपुला चौराहा रायबरेली, उ०प्र० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(ड० अनिरुद्ध पाण्डेय)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सामाजिक वानिकी, सरयू वृत्त, अयोध्या।

(संबन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14- स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका

संबन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हैं/नहीं) यदि

हाँ

हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रक्षेपों को,

निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना

हाँ

और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन

संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

प्रस्तावित वन संरक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया है और प्रस्ताव को स्वीकृत करने का संकेत दिया गया है।

हस्ताक्षर

दिनांक- 8/9/2022

स्थान- रायपुर

राज्य वन संरक्षक (राज्य वन संरक्षक)
राज्य वन संरक्षक (राज्य वन संरक्षक)